आरई – अज-65

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

'राजस्थान सरकार का उपक्रम'

NO – 1233

क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि./अ.अ. (योजना)/प्रे. दिनांक : 18 JUN 2003

आदेश – 207.

विषय : वर्ष 2003-04 में कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

वर्ष 2003-04 में कृषि कनेक्शन जारी किये जाने के सम्बन्ध में विद्युत निगम की समन्वय समितिकी 58वीं बैठक दिनांक 2-6-2003 में निर्णय लिया गया है कि :
वर्ष 2003-04 में राज्य की तीनों वितरण कम्पनियों में कुल 15000 (पांच हजार प्रत्येक निगम) कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य निर्धारित किये है। इस वर्ष 2003-04 में सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों की वर्ष 2002-2003 में जारी कृषि नीति के अनुसार सामान्य श्रेणी की पंचायत समितिवार कट आफ डेट ही यथावत वर्ष 2003-04 में रहेंगी।

१. सामान्य श्रेणी के वर्ष 2002-03 की कट आफ डेट में आने वाले शेष रहे आवेदकों के डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये जावें।
२. सामान्य श्रेणी के वर्ष 2002-03 के कट आफ डेट में आने वाले ऐसे आवेदक/राज्य के सामान्य श्रेणी अनुसूचित जाति व जनजाति उपयोजना क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति के जिनके 11 केवी लाईन के वीआर 8 प्रतिशत से अधिक होने के कारण मांग पत्र जारी नहीं किये गये तथा उनकी अगली प्राथमिकता के आवेदकों को मांग पत्र जारी किये हैं ऐसे छूट गये आवेदकों को राज्य में अकाल की स्थिति के मद्देनजर 8 प्रतिशत वी.आर. की सीमा अवधि में जो छूट प्रदान की हुई है वह इस वर्ष भी जारी रहेगी।
३. स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे किन्तु इस योजना के पूर्व आवेदकों को कनेक्शन देने के सम्बन्ध में परिपत्र क्रमांक 5818 दिनांक 18-2-2003 आरईअज-58 में निहित प्रावधान के अनुसार जिनके मांग पत्र जारी कर दिये है तथा मांग पत्र के अनुसार राशि जमा करने पर मई 2003 तक कनेक्शन दिये जाने थे।

स्पेशल श्रेणी के बाकी समस्त तकनीकी रूप से साध्य आवेदकों को तुरन्त मांग पत्र जारी करने हैं तथा मांग पत्र की राशि जमा करवाने वाले आवेदकों को 30 जून 2003 तक कनेक्शन जारी कर दिये जायें।
स्पेशल स्कीम बन्द होने के कारण वर्तमान में चोरी करते पाये जाने वाले कृषकों को कम्पाउडिंग राशि जमा कराने के पश्चात फार्म हाउस श्रेणी में आवेदन प्राप्त होने पर कनेक्शन जारी किये जाने हैं। इनके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में फार्म हाउस श्रेणी में कृषि कनेक्शन पूर्ववत जारी करने हैं।

४. स्पेशल / 1.4.2000 से नर्सरी स्कीम के जारी किये गये कनेक्शनों को एवं भविष्य में जारी होने वाले समस्त कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी की उसी गांव के नीचे वरीयता वाले आवेदकों को कनेक्शन जारी होने की तिथि से सामान्य कृषि दर से बिलिंग कर दिया जावे। तब तक इस स्कीम में जारी किये गये कनेक्शनों का वर्तमान में प्रभावी दर के अनुसार बिलिंग किया जावे।
५. जिन आवेदकों ने कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र की राशि जमा कराके एल फार्म (विद्युत फिटिंग करवाकर) प्रस्तुत कर दिये हैं, उनको माह का आधार मानते हुये प्राथमिकता अनुसार कनेक्शन जारी किये जावें।

97

६. सामुदायिक जलोत्थान योजना में जितने प्रार्थना पत्र कनेक्शन लेने हेतु लम्बित है तथा इस वर्ष में जो नये आवेदन प्राप्त होते हैं, उन सभी को इसी वित्तीय वर्ष में लाईन की पूरी कीमत एवं ट्रांसफार्मेशन चार्जेज रू. 1450/- प्रति हार्स पावर की दर से मांग पत्र जारी करने हैं। इन आवेदकों के मांग पत्र जमा होने पर एवं पूर्व में आवेदक जिन्होंने मांग पत्र की राशि जमाा करादी है उन सभी को इसी वर्ष में कनेक्शन देने हैं।

७. कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु निम्न प्रकार से निगम द्वारा प्राथमिकताये दी जा रही हैं:-

१. राज्य के सभी अनुसूचित जाति के सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्र।	तुरन्त प्राथमिकता
२. राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्र।	तुरन्त प्राथमिकता
३. (अ) 1962 ,1965 व 1971 के युद्धों में कारगिल द्रास व अन्य क्षेत्रों में इसके पश्चात अन्य सैन्य कार्यवाही अन्य किसी समय देश के किसी भी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि के दौरान शहीद की विधवा या पुत्र-पुत्री के नाम भूमि नहीं हो तो उसके माता-पिता को बशर्ते मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो - (ब) उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशों में शहीद (जैसे : पवन-(श्रीलंका) इत्यादि) शहीद के वैधानिक उत्तराधिकारी (Next Kin) को बशर्ते मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो। (इसी आदेश से लागू)	तुरन्त प्राथमिकता तुरन्त प्राथमिकता
४. परमवीर चक्र/महावीर चक्र से अलंकृत सैनिकों के नाम अथवा मृत्यु होने पर विधवा या परिवार के सदस्य (Next Kin) के बारे में प्रमाण पत्र संबंधित सैनिक/अर्धसैनिक संस्था से प्राप्त होने पर एक विद्युत कृषि कनेक्शन।	तुरन्त प्राथमिकता
५.कार्यरत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं (विधवा की मृत्यु होने पर या विधवा के नाम जमीन नहीं होने पर अन्य वैधानिक उत्तराधिकारी) को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के लिये।	3 वर्ष की प्राथमिकता
६. राष्ट्रपति पुलिस पदक या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक कार्मिकों को सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों में।	3 वर्ष की प्राथमिकता
७. शारीरिक रूप से ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग आवेदको को सामान्य श्रेणी की कट ऑफ डेट से।	3 वर्ष की प्राथमिकता
८. निगम कर्मचारियों को वरीयता क्रम में।	6 माह की प्राथमिकता

८. सभी श्रेणीयों के लिये पोल चार्जेज , ट्रांसफोरमेशन चार्जेज तथा अन्य चार्ज/शुल्क पूर्व में जारी आदेशानुसार लिये जायेंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभााव से लागू होंगे।

(एम.एल.सैनी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

१. श्रीमान् ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
२. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियन्त्रक, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
३. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (अस/उ.स./झु.स.) अ.वि.वि.नि.लि., ------।
४. श्रीमान् उप मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य),अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
५. श्रीमान् सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
६. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (   ), अ.वि.वि.नि.लि., -------------।
७. उपसचिव (प्रशा.एवं का.), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
८. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., --------।
९. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
१०. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
११. निजी सचिव-माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सूचनार्थ।
१२. निजी सहायक, सचिव राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, विद्युत भवन, जयपुर।
१३. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर